



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1456 वर्ष 2026

लालमणि यादव

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : दिनेश यादव, शशांक कुमार

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं० 1 तथा 2 की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं० 6 की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना।
2. आज पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत प्राइवेट-प्रत्यर्थीगण को नोटिसों को जारी करने की आवश्यकता है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा किया गया एक मात्र अनुरोध निर्धारित अवधि में अपील सं० 2869 वर्ष 2024 कम्प्यूटरीकृत मामला सं० सी-2024000002869 (संतोष कुमार तिवारी तथा एक अन्य बनाम लालमणि यादव तथा अन्य) दिनांक 30/09-2024 का विनिश्चय करने के लिए प्रत्यर्थी सं० 2-अपर आयुक्त, न्यायिक प्रथम, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को निदेश देने के लिए किया गया है।
4. वर्तमान पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
5. पक्षकारों के अधिवक्ता के सहमति से, प्रत्यर्थी सं० 2-अपर आयुक्त, न्यायिक प्रथम, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को सर्वथा विधि के अनुसार पूर्वोक्त अपील का विनिश्चय करने का निदेश देते हुए वर्तमान रिट याचिका को अंततः निपटाया जाता है, जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"